संख्या-36/2016/191/26-3-2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 19 फरवरी, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत मा0 न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध दाखिल किये जाने वाली विशेष अपीलों को तैयार कराने, पैरवी हेतु व्यक्तिगत विशेष अधिवक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये बिलों आदि के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1800-06/स0क0/लेखा-बजट/मु0अधि0/पुनर्विनियोग/2015-16 दिनांक-14-10-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की उक्त योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0-35.00 लाख (रूपये पैतीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनु सूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-अनुसूचित जातियों का कल्याण-03-मुख्यालय अधिष्ठान के मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-163/दस-2016, दिनांक 08 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-36/2016/191(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

5- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2

6-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति ।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ बजट मैनुयल का प्रस्तर–158)
प्रपत्र बी0एन0–09

वित्तीय वर्ष 2015–16

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण						हजार में निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक–15 डिजिट कोड में आयोजनेतर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संकलित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक– 15 डिजिट में आयोजनेतर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225–80–800–03–02–20 2225– अनुसूचित जातियों, अनु0जनतियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 80–सामान्य 800–अन्य व्यय 03–शैक्षिक कार्यक्रम 02–विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु छात्रावासों तथा आश्रम पद्धति विद्यालयों के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान 20– सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	40000	3500	3500	3500	36500	2225–01–001–03–00–16 2225– अनुसूचित जातियों, अनु0जनतियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण 001–अनुसूचित जातियों का कल्याण 03–मुख्यालय अधिष्ठान 00– 16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1400	4900	3500	3500	4900
योग	40000	3500	3500	3500	36500	योग	1400	4900	3500	3500	4900

1– स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है–
क– आवश्यकता के अनुसार बचत है।

2– स्तम्भ–8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है–
क– मानक मद में धनराशि कम होने तथा आवश्यकता अधिक होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3– प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0बजट मैनुयल के प्रस्तर 150,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

Praroop

संख्या–आर0ई0 354/ई–3–183/दस–2016 दिनॉक– 8 फरवरी 2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेख एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव
समाज कल्याण विभाग

(रामसुमेर)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

36/2016
संख्या–191 (1)/26–3–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1–महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2–कोषाधिकारी, जवाहर भवन/मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कैसरबाग।
3–वित्त (आय नियंत्रण) अनुभाग–3
4–वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1/2
5–निदेशक, एन0आई0सी0 की एक प्रति।
6–गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव

Praroop

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।